राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजनेवर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-III, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 की आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक चुनाव (पुं-3) विभाग के पद दिनांक 14.02.2019 के द्वारा विभाग को आयोजित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा संरचना में कलिक्ष सहायक के पद का नियुक्त पारीमातिक 14,600/- प्रतिमात पर 02 वर्ष की परिवीक्षीय और प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में कलिक्ष सहायक के पद पर एतदु द्वारा नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है –

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>पूर्वी प्रवेश संख्या (भी/डीईएस/श्रीमती)</th>
<th>पिता का नाम</th>
<th>जन्म दिनांक</th>
<th>पद</th>
<th>गृह जिला</th>
<th>पदस्थापन स्थान (कार्यालय का नाम)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>4132</td>
<td>श्री श्रीराम सुमान</td>
<td>09.08.1993</td>
<td>OBCM</td>
<td>शीकर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, बहुड, अलवर</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>4150</td>
<td>श्री राम सामगर गांव</td>
<td>01.11.1995</td>
<td>OBCM</td>
<td>जयपुर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, उमरां, अलवर</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>4154</td>
<td>श्री प्रेम प्रकाश</td>
<td>03.02.1994</td>
<td>OBCM</td>
<td>नागर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, दीड़वाना, नागर</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>15</td>
<td>श्री इन्द्र सिंह</td>
<td>01.06.1989</td>
<td>GENM</td>
<td>हनुमानगढ़</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, लुधियाना, हनुमानगढ़</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>67</td>
<td>श्री दयाशंकर पुरोहित</td>
<td>15.01.1991</td>
<td>GENM</td>
<td>कीकरी</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, दुलारपास, बीकानेर</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>113</td>
<td>श्री बुधीलाल राजपुरुषोहित</td>
<td>16.11.1987</td>
<td>GENM</td>
<td>जालीर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, जालीर</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>138</td>
<td>श्री कामसिंह राजपूत</td>
<td>19.07.1990</td>
<td>GENM</td>
<td>सिवाईमारुपुर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, सिवाईमारुपुर, जालीर</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>189</td>
<td>श्री प्रेम सिंह</td>
<td>15.02.1991</td>
<td>GENM</td>
<td>जालीर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, उपजाहां, जालीर</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>190</td>
<td>श्री गोपाल जाला</td>
<td>03.12.1992</td>
<td>GENM</td>
<td>सिवाईमारुपुर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, सिवाईमारुपुर, जालीर</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>216</td>
<td>श्री प्रसंस्कार शर्मा</td>
<td>06.04.1994</td>
<td>GENM</td>
<td>करौली</td>
<td>सहायक निदेशक, आधिकार और साहिबिनी, करौली</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>231</td>
<td>श्री दातार सिंह</td>
<td>22.02.1992</td>
<td>GENM</td>
<td>नागर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, पीपालशहर, झोपूरपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>275</td>
<td>श्री शामु दामाल शर्मा</td>
<td>06.08.1993</td>
<td>GENM</td>
<td>जयपुर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, देवधारी, टीक</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>395</td>
<td>श्रीयुतीय सिंह</td>
<td>22.12.1992</td>
<td>GENM</td>
<td>श्रीगंगानगर</td>
<td>श्रीकांत साहिबिनी किसानारायण, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर</td>
</tr>
<tr>
<td>क्र. सं.</td>
<td>मेहरों</td>
<td>कर्मचारी का नाम (भी/नृथी/श्रीमती)</td>
<td>पिता का नाम</td>
<td>जन्म दिनांक</td>
<td>वर्ग</td>
<td>पृथ्वी जिला (कार्यालय का नाम)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>396</td>
<td>आम सिंग साँडू</td>
<td>रे देव सिंग साँडू</td>
<td>15.07.1995</td>
<td>GENM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, देव, बर्कानेर</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>453</td>
<td>राजीव चोलाल</td>
<td>श्री काशी प्रसाद चोलाल</td>
<td>16.07.1978</td>
<td>GENM</td>
<td>जपपुर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, अराई, जपपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>466</td>
<td>प्रितम सिंह</td>
<td>रे सरदार सिंह साँडू</td>
<td>08.12.1993</td>
<td>GENM</td>
<td>जपपुर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>477</td>
<td>नितेंद्र शर्मा</td>
<td>रे सम्रात शर्मा</td>
<td>06.10.1991</td>
<td>GENM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>572</td>
<td>श्रीराम कुमार अवस्थी</td>
<td>श्री दुर्गेश कुमार अवस्थी</td>
<td>22.01.1990</td>
<td>GENM</td>
<td>टोक बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, चेभारा, टोक</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>597</td>
<td>कमल कुमार शर्मा</td>
<td>श्री बिश्नु कुमार शर्मा</td>
<td>27.03.1995</td>
<td>GENM</td>
<td>दीसा बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, बड़ीघर, दीसा</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>598</td>
<td>जन्मशताब्दी शर्मा</td>
<td>रे मामाता देवी</td>
<td>20.07.1992</td>
<td>GENM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>630</td>
<td>लोकेन्द्र प्रसाद सिंह चोहान</td>
<td>रे विपुल प्रसाद सिंह चोहान</td>
<td>03.08.1993</td>
<td>GENM</td>
<td>जपपुर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>662</td>
<td>नितिन शर्मा</td>
<td>रे हरीश चन्द्र शर्मा</td>
<td>25.03.1994</td>
<td>GENM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>778</td>
<td>संबंधाल राम</td>
<td>रे पंडुरंगनाथ</td>
<td>01.03.1995</td>
<td>OBCM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, निगम, अनमेल</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>898</td>
<td>जार्रार अभास</td>
<td>रे शाकुन्तला अली</td>
<td>14.04.1981</td>
<td>OBCM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, बृहस्पति, बर्कानेर</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>976</td>
<td>लेखराज</td>
<td>रे हरसिंह</td>
<td>10.06.1990</td>
<td>OBCM</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, बृहस्पति, बर्कानेर</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>2440</td>
<td>राम कुमार गुप्ता</td>
<td>रे आम प्रकाश गुप्ता</td>
<td>08.06.1987</td>
<td>GEN, LD</td>
<td>बर्कानेर बर्कानेर सार्थत्रिताकरी, बृहस्पति, बर्कानेर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपलब्धियाँ निम्नलिखित राजस्थान के अध्यक्ष रहेगी—

1. उपलब्धिया जी.बी., विशेष रिंग अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह बाबू आदेश दिनांक 03.11.2017 व जी.बी., विशेष रिंग संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 में पारित निर्णय एवं अन्य वार्थाकारीय/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्ष रहेगी।

2. उपलब्धियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार रहेगी।
3. अम्लपियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के अन्तर पदस्थापित स्थान पर कार्यमार समाप्त करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4. अम्लपियों द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यप्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य प्रशिक्षण का प्रवेश करने का अधिकार है।

5. अम्लपियों की परीक्षा राजस्थान सरकार सेवा आयोग, अज्ञात द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।

6. अम्लपियों का पदस्थापन अथवा स्वास्थ्य योग्यता राज्य के किसी भी जिले में किया जा सकता है।

7. अम्लपियों को कार्यमार समाप्त करने के बाद किसी भी पद के लिए उन्हें समय-समय रहेगा।

8. अम्लपियों सरकारी सेवा के दौरान वित्त (नियाम) विभाग की अधिशुल्क एक. 12 (6) एकड़ी/रूपस/05 दिनांक 13.03.2006, 6 (6) एकड़ी/रूपस/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एकड़ी/रूपस/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एकड़ी/रूपस/ 2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्शिक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची द्वारा परीक्षा रहेगी।

9. अम्लपियों का कार्यमार अधिक पर्यंत देने के प्रयोग नियम वित्त (प्रवेश) से अन्य योग्य संभागित करने के अनुसार तिथि रूप से प्रस्तुत करना होगी।

10. परियोजना का अवधि (Probation Period) में इन्हें कोई परीक्षा वेतन भुगत्त देने नहीं होगी।

11. दो साल की परियोजना अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण करिश्चा सहायक के पद पर पे-पैक्स्ट्रेक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन देना अथवा अन्य भावने देय होगा।

12. यदि अम्लपियों का कार्य एवं आर्थिक परीक्षा अवधि में कमी भी आया इसकी समाप्ति पर संतोषजनक नहीं पाया गया तो इनका वेतन अन्य अधिकारियों की समाप्ति पर ती गई। विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो अनुसरण रहने पर इन्हें बिना किसी क्षति पूरीति के सेवा से किसी भी समय सेवा से विशुद्ध किया जा सकता।

13. परीक्षा अवधि में अन्य संख्या या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्राक्षेत्रानुसार देय होगी।

14. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिशुल्क संख्या एक. 13(1)एकड़ी/रूपस/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अन्द्रादेशी पेषन योजना के अध्ययन लागू होगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगी।

15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिचालन के अध्ययन रहेगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों/परिचालन लागू होगे।

[लिखी 13-17]
16. अम्ल्थें के पुलिस विभाग द्वारा चर्चित सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अम्ल्थें की अभिप्रेतिका निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। अम्ल्थें द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व नोटिश पब्लिक से सत्यापित इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चर्चित एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अम्ल्थें की अभिप्रेतिका निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

17. अम्ल्थें द्वारा नोटिश पब्लिक से सत्यापित इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न प्रमाण पत्र सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य अथवा फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेंगी।

18. कार्यभार ग्रहण के समय उपलब्ध करवाये जाने वाले दस्तावेजः

क. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी यथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निःसंदेह प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं महिला के संबंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ख. अम्ल्थें को Attestation Form (Police Verifaction) सत्यापित करवाकर कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ग. जो अम्ल्थें पूर्व से ही नियुक्त राज्य सेवा में कार्यरत हैं उनके राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भते देय होंगे परन्तु परस्थापन पर कार्यग्रहण के समय भी नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यभवित आदेश एवं गत भूमिका प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

घ. अम्ल्थें द्वारा कार्यग्रहण के समय समस्त दस्तावेजः यथा शैक्षणिक एवं कम्यूनिटी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अन्य भिन्न वर्ग, जनजाति उप योजना क्षेत्र हेतु विशेष मूल्य निर्णय के प्रमाण पत्र इत्यादि की एक-एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। समन्वित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतीतियों की जांच मूल दस्तावेजों से की जाएगी।

19. अम्ल्थें को यह भी लिखित में देना होगा कि इनके द्वारा इस पद पर प्रतिबंधित से पूर्व किन-किन विभागों में किस-किस पद हेतु आवेदन पत्र दिए हुए हैं तथा किस-किस शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन किया गया है। साथ ही इनको कार्यग्रहण करने से परचाल भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में समयित होने से पूर्व तथा अधिक अभ्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फार्म भरने से पूर्व नियुक्त प्राधिकृत से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
20. अम्बार्थों द्वारा कार्यग्रहण रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जाये। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति विभागाध्यक्ष निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना भवन, जयपुर को आवश्यक रूप से नंगे। अम्बार्थों द्वारा कार्यग्रहण की रिपोर्ट ई-मेल jdadmn.des@rajalsthan.gov.in से अथवा फैक्स 0141-229756 के माध्यम से भी भेजें जायें।

(राज कुमार पांडे)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यालय हेतु—
1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रगति शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सूचार (गोप्य-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मुख्यालय।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. लेखाधिकारी, मुख्यालय।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी को निर्देशित किया जाता है कि वे शासक 18 के अनुसार कार्यबाही सुनिश्चित करें, साथ ही पुलिस पालगण रिपोर्ट एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुल्क ही प्राप्त किया जायें।
8. समस्त अम्बार्थों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण रिपोर्ट संबंधित जिले के कार्यालय उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में दें।
9. संबंधित पदस्थापन कार्यालय ..........................................................।
10. निजी एवं रक्षक पत्रावली।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)